न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 01/17(223 आरटीए)
आरसीएमएस संख्या :–2017/00006

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र श्री कुन्दनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सिंघाडा हाल कस्बा बयाना जिला भरतपुर (मृतक)
   1/1. त्रिवेणी देवी वेवा रामप्रसाद
   1/2. अशोक शर्मा
   1/3. नरेन्द्र शर्मा
   1/4. सुरेन्द्र कुमार
   1/5. चन्द्रशेखर शर्मा
   1/6. योगेश कुमार
   (1/2 से 1/6) पुत्रगण स्व0 रामप्रसाद
   1/7. पूनम शर्मा पुत्री रामप्रसाद पत्नी वृन्दावन बिहारी
   1/8. बीना शर्मा पुत्री रामप्रसाद पत्नी विमल कुमार
   1/9. ज्योति शर्मा पुत्री रामप्रसाद पत्नी संजय शर्मा
   (1/1 से 1/9) जाति ब्राहम्ण निवासी सिंघाडा हाल कस्बा बयाना जिला भरतपुर।
   1/10. सदेश शर्मा
   1/11. नितेश शर्मा
   (1/10 व 1/11) पुत्र लक्ष्मी शर्मा पुत्री रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी हाल कस्बा बयाना जिला भरतपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

1. बृजेश कुमार पुत्र कुन्दनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सिंघाडा हाल मुरली मार्केट नई सब्जी मण्डी बयाना जिला भरतपुर।
2. शारदा देवी पत्नी स्व0 श्री जवाहर सिंह
3. प्रदीप कुमार
4. मनोज कुमार
5. राजीव कुमार
   (3 से 5) पिस0 स्व0 जवाहर सिंह
   (2 से 5) जाति ब्राहम्ण नि0 सिंघाडा हाल महादेव गली बयाना जिला भरतपुर।
6. शीश कुमारी पुत्री स्व0 जवाहर सिंह पत्नी दिनेश कुमार पुत्र हंसा जाति ब्राहम्ण निवासी निवासी नगला कल्यान तहसील बयाना जिला भरतपुर।
7. सुनीता कुमारी पुत्री स्व0 जवाहरलाल पत्नी राकेश पुत्र रामप्रताप निवासी सीताराम जी का मंदिर पुजारी बस स्टैण्ड के पास अम्बाह जिला मुरैना (म0प्र0)
8. सुलोचना पुत्री स्व0 जवाहरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सीतारामजी का मंदिर पुजारी बस स्टैण्ड के पास अम्बाह जिला मुरैना (म0प्र0)

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

9. बबीता पुत्री स्व0 जवाहरलाल जाति ब्राहम्ण पत्नी कृष्ण किशोर जाति ब्राहम्ण निवासी महादेव गली कस्बा बयाना जिला भरतपुर।
10. शीला पुत्री स्व0 कुन्दनलाल (मृतक)
    10/1. अजय कुमार
    10/2. सुनील कुमार
    10/3. पंकज
    10/4. कुलदीप
    10/5. विजय लक्ष्मी
    10/6. रेखा
    10/7. क्षमा
    10/8. मधु
    } पिस0 शीलादेवी जाति ब्राहम्ण नि0 शीला वेगिल स्टोर सीतारामजी का मंदिर जय सिंह होटल के पास सदर बाजार आगरा उ0प्र0।
11. विधा शर्मा पुत्री स्व0 कुन्दनलाल (मृतक)
    11/1. विष्णु कुमार
    11/2. कृष्ण कुमार
    11/3. राजीव कुमार
    } पुत्रान विधा शर्मा पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी बीएड कालेज वाले (पीली कोठी) रेल्वे स्टेशन के पास हिण्डौन सिटी।
12. राजेश कुमार पुत्र गोविन्द प्रसाद जाति ब्राहम्ण
13. हरीश कुमार पुत्र गोविन्द प्रसाद जाति ब्राहम्ण
    } नि0 18 कमलकुंज सोसायटी डिलेक्स सोसायटी के पास निजामपुरा बडौदा
14. सुशीला शर्मा पुत्री स्व0 कुन्दनलाल पत्नी गोपाल प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी इनवोक्स इस्ट्रीस्टीज पंजाबी पेज जंक्शन रोड मथुरा उत्तर प्रदेश।
15. वीरेन्द्र पुत्र गिर्राज
16. परशुराम पुत्र देवी सिंह
    } जाति गूजर निवासी गोलपुरा मजरा डहरा जिला भरतपुर।
17. राजेश कुमार पुत्र गंगाराम जाति गूजर निवासी गोलपुरा मजरा डहरा जिला भरतपुर।
18. रोहिताश कुमार पुत्र तोताराम (मृतक)
    18/1. बबीता पत्नी स्व0 रोहिताश जाति गूजर निवासी गोलपुरा मजरा डहरा जिला भरतपुर।
19. अमर सिंह पुत्र गोपाल
20. नीकेश पुत्र गोपाल
21. बबली उर्फ देवकरन पुत्र गोपाल
22. मुकेश कुमार पुत्र देवी सिंह
    } जाति गूर्जर निवासी गोलपुरा मजरा डहरा जिला भरतपुर।
23. रामकिशन जाति गुर्जर निवासी नगला पोस्ट सिंघाडा तहसील बयना जिला भरतपुर।
24. राजन्ती पत्नी हरी
25. रामो पत्नी मुरारी
26. श्रीमती महारानी पत्नी लालाराम
27. श्रीमती उमा पत्नी प्रभू
    } जाति गुर्जर निवासी ग्राम नगला सिंघाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
28. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.... रेस्पोंडेंट ।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना दिनांक 10.08.2016 प्र.सं 110/12 उनवानी रामप्रसाद बनाम बृजेश।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दुलीचन्द शर्मा, हेमराज शर्मा, महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक–28.05.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 10.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 प्रस्तुत किया। जिसमें विचाराधीन वाद के रहते जवाब दावे के आधार पर वर्णित कथनो में किये गये उल्लेख के आधार पर वादी अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 व आदेश 06 नियम 17 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 05 द्वारा आराजी खसरा नम्बरान 1455 व 1504 में से अपना हिस्सा 1/3 का विक्रय अप्रार्थी रैस्पो0 संख्या 25 व 28 के पक्ष में कर दिया है। अतः उक्त पक्षकारान को दावा में जोडा जाकर वाद पत्र में संशोधन किया जाना न्यायोचित है। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित संशोधन के अनुसार उक्त पक्षकारान की तलवी किये जाने के आदेश पारित किये जाकर अग्रिम पेशी दिनांक 25.08.2014 नियत की गयी। पेशी दिनांक 11.08.2015 को तलवी हेतु नोटिस प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये एवं अप्रार्थी रैस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनीं जाकर वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया। जिसकी नजरसानी वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 05.10.2016 को निरस्त कर दी गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी अपीलाण्ट ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षो की बहस सुनी जाकर दिनांक 06.12.2016 को यह निर्णय दिया कि आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 223 के तहत इस निर्णय से 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त आदेशो की अनुपालना द्वारा वादी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने प्राथमिक आपत्ति उठाते हुये तर्क दिये कि वादी अपीलाण्ट का दावा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 09 नियम 05 जा0 दी0 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के आदेशो की पालना 11 पेशियॉ तक नहीं करने के कारण खारिज हुआ है। उक्त आदेश डिक्री नहीं है एवं डिक्री ना होने के कारण धारा 223 में अपील चलने योग्य नहीं है। न्यायालय हाजा में अपील धारा 223 एवं 225 के तहत ही आती हैं। अपीलाधीन आदेश उक्त धाराओ में नहीं आता है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने कानून की गलत प्रकार से व्याख्या करते हुये निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज योग्य है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 2023(2) पेज 567 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनी जाकर वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया। जिसकी नजरसानी वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 05.10.2016 को निरस्त कर दी गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी अपीलाण्ट ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षो की बहस सुनी जाकर दिनांक 06.12.2016 को यह निर्णय दिया कि आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 223 के तहत इस निर्णय से 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अपीलाण्ट ने उक्त आदेशो की अनुपालना में ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। रैस्पो0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 5 प्रस्तुत करने के दिन ही अपीलाण्ट ने प्रतिवादी रैस्पो0 की तलवी हेतु तलवाना प्रस्तुत कर दिया गया था तथा अग्रिम पेशी पर प्रतिवादीगण रैस्पो0 की ओर से वकालतनामा भी पेश हो गया था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का दावा आदेश 09 नियम 05 जा0दी0 में खारिज करने में भूल की है। माननीय राजस्व मण्डल ने भी अपने आदेश में अपीलाधीन आदेश को गलत माना है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 05 दिनांक 11.08.2015 को प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश से प्रतिवादी रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 05 स्वीकार करते हुये, वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी अपीलाण्ट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रिवीजन प्रस्तुत की गयी। उक्त रिवीजन में माननीय राजस्व मण्डल ने आदेश दिये कि वादी अपीलाण्ट अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करें। उक्त आदेशो की अनुपालना में वादी अपीलांट द्वारा हस्तगत अंपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी है। रैस्पो0 की आपत्ति है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश डिक्री नहीं है। अतः उक्त आदेश के

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विरूद्ध वादी अपीलाण्ट को या तो रिवीजन में जाना चाहिये था अथवा नया दावा प्रस्तुत करना चाहिये था। हमने मनन किया। वादी अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के आदेशो की अनुपालना में ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक न्यायालय को अपने से उच्चतर न्यायालय के निर्णय का सम्मान तथा पालन करना चाहिये। उपरोक्त विवेचनानुसार हम रैस्पो0 की आपत्ति में कोई बल नहीं पाते हैं। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि प्रतिवादी रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 05 दिनांक 11.08.2015 को प्रस्तुत करने पर उसी रोज वादी अपीलाण्ट ने प्रतिवादी रैस्पो0 की तलवी हेतु सम्मन तलवाना प्रस्तुत कर दिया था एवं दिनांक 20.10.2015 को कुछ प्रतिवादी रैस्पो0 जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित भी हो चुके थे। इसके बाबजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना रवैया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2016 से वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है, जब वादी अपीलांट द्वारा सम्मन तलवाना प्रस्तुत कर ही दिया था एवं प्रतिवादी रैस्पो0 न्यायालय हाजा में जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित हो चुके थे, तो उन्हें वादी अपीलाण्ट का दावा तकनीकी बिन्दु पर खारिज करने के बजाय गुणावगुण पर निस्तारण करना ज्यादा वांछनीय रहता। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 10.08.2016 अपास्त किये जाकर, उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.06.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर